रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. NO. D.L.-33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 741] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 1992/अग्रहायण 2, 1914
No. 741] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 1992/AGRAHAYANA 2, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1992

का. आ 857 (अ)—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए

मोलेसेस नियंत्रण आदेश, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोलेसेस नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1992 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मोलेसेस नियंत्रण आदेश, 1961 में, खंड 11 के उपखंड (2) के अधीन अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची

(खंड 7 देखिए)।

(1)	(2)
शीरे की श्रेणी	
श्रेणी I	चौदह रुपए चालीस पैसे प्रति सौ किलोग्राम ।
श्रेणी II	ग्यारह रुपए पचास पैसे प्रति सौ किलोग्राम ।
श्रेणी III	आठ रुपए साठ पैसे प्रति सौ किलोग्राम ।
श्रेणी III से कम	चीनी अंतर्वस्तु की मात्रा को कम करके प्रत्येक चालीस किलोग्राम के लिए आठ रुपए साठ पैसे ।"

[संख्या 15021/42/92—सी एच.-II]
विनय कोहली, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:—मूल आदेश का. आ. संख्या 770 दिनांक 29-3-1961 को प्रकाशित किया गया तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया था:—

का.आ. सं. 1435(अ), दिनांक 24-6-1961

का. आ. सं. 1623 (अ), दिनांक 15-7-1961

का. आ. सं. 1739 (अ), दिनांक 29-7-1961

का. आ. सं. 627 (अ), दिनांक 7-3-1963

का. आ. सं. 1408 (अ), दिनांक 25-5-1963

का. आ. सं. 1274 (अ), दिनांक 26-3-1968

का. आ. सं. 578 (अ), दिनांक 30-1-1971

का. आ. सं. 105 (अ), दिनांक 5-2-1972

का. आ. सं. 634 (अ), दिनांक 31-10-1975

का. आ. सं. 834 (अ), दिनांक 25-9-1987

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

New Delhi, the 23rd November, 1992

ORDER

S.O. 857(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Molasses Control Order, 1961, namely :—

1. (1) This order may be called the Molasses Control (Amendment) Order, 1992.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Molasses Control Order, 1961, for the Schedule under sub-clause (2) of Clause 11, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE

(See Clause 7)

1	2
Grade of Molasses	
Grade I	Rupees Fourteen and paise forty per hundred kilograms.

(1)	(2)
Grade II	Rupees Eleven and paise fifty per hundred kilogram
Grade III	Rupees Eight and paise sixty per hundred kilogram.
Below Grade III	Rupees Eight and paise sixty for every forty kilograms reducing sugar content."

[No. 15021|42|92-CH. III]
VINAY KOHLI, Jt. Secy.

FOOT NOTE : The principal order was published vide S.O. No. 770 dated 29-3-1961 and subsequently amended by

S.O. No. 1435(E) dated 24-6-1961.
S.O. No. 1623(E) dated 15-7-1961.
S.O. No. 1739(E) dated 29-7-1961.
S.O. No. 627(E) dated 7-3-1963.
S.O. No 1408(E) dated 25-5-1963.
S.O. No 1274(E) dated 26-3-1968.
S.O. No. 578(E) dated 30-1-1971.
S.O. No. 105(E) dated 5-2-1972
S.O. No. 634(E) dated 31-10-1975.
S.O. No. 834(E) dated 25-9-1987.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1992